न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन मु.न. 28/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दौलती / चरनलाल	
22/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० अप्रार्थी उपस्थित प्रा० पत्र O7R11 cpc पर अप्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र O7R11 cpc दिनांक 23/10/24 को पेश हो। Rahul	
23/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित समयाभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29/10/24 को पेश हो। Rahul	
29/10/24	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर है। पूर्वानुसार 4/11/24 को पेश हो।	
4/11/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 7/11/24 को पेश हो।	
7/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० अप्रार्थी उपस्थित प्रा० पत्र O7R11 cpc स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जाकर वाद पत्र वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Rahul उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
वाद कमांकः—28 / 2024
उनवानः— दौजी बनाम चरनलाल बगै0
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

उपस्थितिः—
1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1)
2. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण (वादीगण)

निर्णय दिनांकः—05.11.2024

प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया है कि उक्त उनवानी मुकदमे में वादीगण ने सारे तथ्य झुठे, बेबुनियाद एवं आधारहीन दर्ज कराये है अपने वाद पत्र की मद संख्या 3 में जो सजरा प्रदर्श किया है वह गलत है वादीगण द्वारा सजरा में सभी महिला पक्षकारों भजनी के पुत्र रेवती की पत्नि केला एवं दो पुत्री पारवती एवं मीना को सजरा में दर्ज नहीं कराया है और ना ही मुकदमे में पक्षकार बनाया है जबकि तीनों ही उक्त वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार है। कानूनन जमींदारी उन्मूलन लागु होने के वक्त बतौर काश्तकार या खातेदार जो रिकार्ड पर था वही वादपत्र लाने का अधिकारी है जबकि हम प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज उक्त आराजी पर सम्वत् 2010 से पूर्व से ही खातेदार कास्तकार दर्ज आराजी है तथा अप्रार्थीगण / वादीगण का उक्त आराजी से कभी भी कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी / वादीगण के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी / प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि अप्रार्थी / वादीगण के द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये उक्त वादपत्र पेश किया गया है वादीगण द्वारा वादपत्र की मद संख्या 3 में गलत सजरा पेश किया है एवं भजनी के पुत्र रेवती की पत्नी एवं पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जो कि उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। इसी आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अभिभाषक अप्रार्थी / वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि भजनी के पुत्र रेवती की पत्नी एवं पुत्रियां उक्त मुकदमें में आवश्यक पक्षकार नहीं है और किसी भी अनजान व्यक्ति को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक नहीं है और ना ही वादीगण के द्वारा इनसे कोई भी दादरसी चाही है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Rahul Srivastava
5/11/24
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादपत्र में पेश सजरा का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा रेवती की पत्नी एवं पुत्रियों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जो कि आवश्यक पक्षकार है एवं विवादित आराजी में उनके भी हक निहित है। मेरे विनम्र मत में अप्रार्थी/वादीगण का वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाता है। वादपत्र वादीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Srivastava

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)